कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809012
पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 156 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 21 अप्रैल,, 2008

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /चेक पोस्ट, सचलदल, वि0अनु0शा,कर निर्धारण, वाणिज्य कर /
वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।

Key word 1-47-Verification Forms/ Penalty

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0- चेकपोस्ट-25-क-97-98/ 1176 दि0 02-12-98 का संदर्भ लेने का कष्ट करे जिसके द्वारा शासन के पत्र सं0-क0सं0वि0-2-1983/11-98-9(134)/98 दि0 06-11-98 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह निर्देश दिए गए थे कि सेन्ट्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिट के लिये प्रयोग हेतु प्रदेश के बाहर से माल आयात किए जाने पर सेन्ट्रल एयर कमाण्ड अथवा ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा नामित अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि अमुक वाहन में लाया जाने वाला माल (जिसमें माल का पूरा ब्यौरा, विक्रेता का नाम, पता, मूल्य इत्यादि) एयरफोर्स यूनिट के लिये ही है , बिक्री हेतु नही है तो ऐसे मामलें में उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर जॉच चौकियों व सचल दल द्वारा फार्म-32 की मॉग न की जाए।

2- मुख्यालय के संज्ञान मे यह आया है कि दि0 01.01.2008 सें व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वैट व्यवस्था लागू हो जानें के क्रम में कतिपय जॉच चौकियों पर इन निर्देशों का पालन न करते हुए सेन्ट्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिट के लिए मॅगाए जा रहें माल के संबंध में फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की मॉग की जाती है ।

3- उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के परिपत्र सं0-479 दि0 29.12.2007 व परिपत्र सं0 2298 दि0 29.01.2008 सें स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके है कि उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत मुख्यालय द्वारा विभिन्न परिपत्रों से जारी किए गए निर्देश अग्रिम आदेंशो तक प्रभावी रहेंगे । स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सेन्ट्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिटके लिए आयात किए जा रहे माल के संबंध में जॉच चौकियों / सचल दल इकाईयों द्वारा फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की मॉग किया जाना उचित नही है । अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि सेन्ट्रल एयर एण्ड ईस्टर्न एयर कमाण्ड द्वारा एयर फोर्स यूनिट के लिए आयात किए जा रहे माल के संबंध में जॉच चौकियों / सचल दल इकाईयों द्वारा फार्म-39 (पूर्व में फार्म-32) की मॉग न की जाए ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

26.4.08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ
2. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।
3. एयरकमाडोर , एयर आफीसर कमान्डिंग-24 , इक्यूपमेन्ट डिपो , एयर फोर्स स्टेशन , मनौरी , इलाहाबाद ।
4. समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
6. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
7. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0 पो 0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ